



इसके द्वारा, भारत गणराज्य के राष्ट्रपति के नाम पर, उन सब से जिनका इस बात से सरोकार हो, यह प्रार्थना एवं अपक्षा को जाती है कि वे वाहक को दिना रोक-टोक, आज़ादी से आने-जाने दें, और उसे हर तरह की ऐसी सहायता और सुरक्षा प्रदान करें जिसकी उसे आदश्यकता है।

THESE ARE TO REQUEST AND REQUIRE IN THE NAME OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA ALL THOSE WHOM IT MAY CONCERN TO ALLOW THE BEARER TO PASS FREELY WITHOUT LET OR HINDRANCE, AND TO AFFORD HIM OR HER, EVERY ASSISTANCE AND PROTECTION OF WHICH HE OR SHE MAY STAND IN NEED.

भारत गणनाम के राष्ट्रपति के आदेश से दिया गन्या BY ORDER OF THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDIA



P.G. SARRER

P. O. SARRER

P.

तसपोर्ट कार्यालय, देवपका

Chartered Accountant

(AJAY MEHTA)

Chartered M. 140 BIBLE दीज VISAS TRUE COPY (AJAY MEHTA) Chartered Aresus at M. No. 35449

रिरोशी में रहने बाले भारतीय नागरिकों को सक्छ दी जाती है कि वे अपने की निकटतन भारतीय भितन / चीठी पर पंजीकृत करना सें।

यह पासपोर्ट मारत सरकार की सम्पति है। पासपोर्ट अधिकारी से इस पासपोर्ट के संदर्भ में कोई सूचना निजने **घर विसमें इसे सुदुर्र करना** शामिल है, उसका तुरन्त अनु**पातन किया जाए।**

यह पासपोर्ट डाक द्वारा किसी भी देश से बाहर न भेजा जाए। यह पासपोर्ट पारक या उसके द्वारा प्राप्तिकृत व्यक्ति के कब्बे में ही होना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार के फेरबदल या विकृत नहीं किया जाना चाहिए ।

पासचोर्ट गुप आता, बोरी हो जाना या नष्ट हो जाने पर उसकी रिपोर्ट सल्कात भारत में निकटतम पासपोर्ट अधिकारी को (तथा पदि धारक विदेश में हो) निकटतम मारतीय मिशन को और स्थानीय पुतिस को दी जानी चाहिए। निश्शीपत पृष्ठताछ के परचात ही प्रतिपूरक पासपोर्ट जारी किया जाएगा ।

REGISTRATION

INDIAN CITIZENS RESIDENT ABROAD ARE ADVISED TO REGIS-TER THEMSELVES AT THE NEAREST INDIAN MISSION / POST.

CAUTION

THIS PASSPORT IS THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT OF INDIA. ANY COMMUNICATION RECEIVED BY HOLDER FROM THE PASSPORT AUTHORITY REGARDING THIS PASSPORT, INCLUDING DEMAND FOR ITS SURRENDER, SHOULD BE COMPLIED WITH IM-

MEDIATELY.

PASSPORT SHOULD NOT BE SENT OUT OF ANY COUNTRY BY POST.

IT SHOULD BE IN THE CUSTODY EITHER OF THE HOLDER OR OF
A PERSON AUTHORISED BY THE HOLDER. IT MUST NOT BE ALTERED OR MUTILATED IN ANY WAY.

LOSS, THEFT OR DESTRUCTION OF PASSPORTS SHOULD BE IMMEDIATELY REPORTED TO THE NEAREST PASSPORT AUTHORITY IN INDIA OR (IF THE HOLDER IS ABROAD) TO THE NEAREST INDIAN MISSION AND TO THE LOCAL POLICE, ONLY AFTER EXHAUSTIVE ENQUIRIES SHALL A REPLACEMENT PASSPORT BE ISSUED.

EHTA 三二 8 d 50 ara Name of Spouse (1) en mi /Filo

TRUE COPY

61-438 ,ON .M Chartered Accountant (ATHEM YALA) (AJAY MEHTA) Chartered A - unlast

M No. 3.